केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

दिनांक: 26.03.2018

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/81
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00072
CICOM/R/2018/00139

अपीलकर्ता : श्री नवरतन मल जैन,
पुत्र – स्व0 श्री शंकरलालजी जैन,
द्वारा – बदामबाई जोशी, मकान नं. 93,
गांयत्री नगर, भीलवाड़ा ।

निर्णय की तारीख : 26.03.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	29.01.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	06.02.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	03.03.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	111/19.03.2018 (116847/16.03.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 29.01.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से राजस्थान सरकार एवं डाक विभाग से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी । प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि उन्हें जान बूझकर सूचना नहीं दी गई है एवं अनुरोध किया है कि उन्हें सूचना उपलब्ध करवाई जाए एवं सूचना उपलब्ध नहीं करवाने वाले जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाए ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना जिसमें अपीलकर्ता को बताया गया है कि "आपके द्वारा मांगी गई सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है, कृपया सूचना से संबंधित कार्यालय में आवेदन दाखिल कर सूचना प्राप्त करें" । श्री ए. के. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग द्वितीय अपीलीय अधिकरण है एवं अपील प्रकिया का विस्तृत विवरण भी दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को श्री ए. के. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है, अतः अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु इस आदेश के साथ श्री ए. के. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति पुनः संलग्न है । साथ ही अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि श्री ए. के. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना का ठीक से अवलोकन कर सूचना प्राप्ति हेतु वताई गई प्रक्रिया का अनुपालन करें ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

O/C

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

Ash 27/03/18

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
26 MAR 2018
D. No............
Initials............

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/00139 दिनांक 06.02.2018

सेवा में,

श्री नवरतन मल जैन,
पुत्र – स्व0 श्री शंकर लाल जी जैन,
बादाम बाई जोशी, मकान नं. 93,
गायत्री नगर, भीलवाड़ा,
राजस्थान ।

विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 31.01.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 02.02.2018 को डायराइज हुआ (डायरी सं. 107434) तथा दिनांक 05.02.2018 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के संदर्भ में यह अवगत कराया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है । अतः कृपया सूचना से संबंधित कार्यालय में आवेदन दाखिल कर सूचना प्राप्त करें ।

आपके आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना के संदर्भ में संदर्भ में अवगत करवाया जाता है आपने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालय/विभाग से संबंधित सूचना मांगी है । इस संबंध में अवगत करवाया जाता है कि राज्य सूचना आयोग या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय/उपक्रम केन्द्रीय सूचना आयोग के न्यायायिक/प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से बाहर हैं इसलिए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों से संबंधित आर.टी.आई. आवेदनों पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत लोक प्राधिकरणों के खिलाफ द्वितीय अपीलीय अधिकरण है । यदि किसी लोक प्राधिकरण द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल किया जाना चाहिए । अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तब केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोक प्राधिकरणों के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सरकार के अंतगर्त कार्यरत लोक प्राधिकरणों के संदर्भ में संबंधित राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं । द्वितीय अपील प्रपत्र के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियों (स्वअभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है ।

अशोक कु शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
D. No.........
Initials.........

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
08 FEB 2018
D. No.........
Initials.........